

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.1(8)न्याय/2016

जयपुर, दिनांक


27 JUL 2016

:: अधिसूचना ::

नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सब्स्टेन्सेज एक्ट, 1985 की धारा 36 की उपधारा (1) एवं (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)न्याय/2016 दिनांक 16.05.2016 द्वारा सृजित एवं स्थापित मुख्यालय से बाहर स्थित निम्नलिखित अपर जिला न्यायालयों को उक्त अधिनियम के अधीन उत्पन्न मामलों के बारे में अपनी क्षेत्रीय सीमाओं में अधिकारिता वाले विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट करती है, एवं उक्त निम्नलिखित न्यायालयों के पोटासीन अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अधीन उत्पन्न मामलों के विचारण करने हेतु विशेष न्यायाधीश नियुक्ति करती है:-


क्र.सं.	न्यायालय का नाम	जिला
1	अपर जिला न्यायाधीश, फतेहपुर	सीकर
2	अपर जिला न्यायाधीश, चिड़वा	झुंझुनू
3	अपर जिला न्यायाधीश, खेरवाड़ा	उदयपुर

राज्यपाल के आदेश से,


(मनोज कुमार व्यास)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान सरकार।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच, जयपुर।
7. जिला कलेक्टर/जिला एवं सेशन न्यायाधीश/पुलिस कमीश्नर/पुलिस अधीक्षक, सीकर/झुंझुनू/उदयपुर।
8. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण), शासन सचिवालय, जयपुर।
9. महानिदेशक आरक्षी/जेल, राजस्थान सरकार, जयपुर।
10. निदेशक, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
12. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर को राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ (सी.डी. सहित)।
13. प्रोग्रामर, विधि विभाग।
14. रक्षित पत्रावली।


(डॉ० कैलाश चन्द्र अटवासिया)
संयुक्त शासन सचिव